



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 262]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 9, 2014/भाद्र 18, 1936

No. 262]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 9, 2014/BHADRA 18, 1936

दि इन्स्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितंबर, 2014

परिषद् तथा क्षेत्रीय परिषदों, 2014 के चुनाव

2014 संख्या 1.—11वीं परिषद् और क्षेत्रीय परिषदों का कार्यकाल 18 जनवरी, 2015 को समाप्त हो जाएगा, अतः नई परिषद् और क्षेत्रीय परिषदों के गठन हेतु चुनाव निम्नलिखित अधिसूचना के अनुसार आयोजित किए जाएंगे:

1. कम्पनी सेक्रेटरीज (परिषद् के चुनाव) नियमावली, 2006 (तदोपरांत 'नियम') के नियम 3 और 4 तथा संबंधित कम्पनी सेक्रेटरीज विनियमावली, 1982 (तदोपरांत 'नियमावली') के संगत प्रावधानों तथा अन्य लागू नियमों के साथ पठित कम्पनी सेक्रेटरीज अधिनियम, 1980 (तदोपरांत 'अधिनियम') की धारा 9(2)(ए) के अनुसरण में परिषद् तथा क्षेत्रीय परिषदों के विभिन्न कार्यकलापों चुनाव हेतु का आयोजन वर्ष 2014 में निम्नलिखित रूप से किया जाएगा:

क्रम सं.	कार्यकलाप	समय, दिवस और दिनांक	स्थान/आयोजन स्थल
1	नियमावली के नियम 4 के प्रयोजन के लिए अधिसूचना जारी करना	मंगलवार, 9 सितंबर, 2014	भारत का राजपत्र
2	नामांकन पत्र दाखिल करना [नियम 4(2)(ए) और 9]	सोमवार, 6 अक्टूबर, 2014 को अधिक से अधिक सायं 6 बजे से पहले	निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय
3	नामांकन पत्रों की जांच [नियम 4(2)(बी)]	शनिवार, 18 अक्टूबर, 2014 को प्रातः 11 बजे	आईसीएसआई हाउस, 22, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
4	नामांकन पत्रों को वापस लेना [नियम 4(2)(सी) और 14]	मंगलवार, 28 अक्टूबर, 2014 को अधिक से अधिक सायं 6 बजे से पहले	निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय
5	मतदान [नियम 4(2)(डी)]	दिल्ली और मुंबई: शुक्रवार और शनिवार, 12 और 13 दिसंबर, 2014 को प्रातः 8 बजे से सायं 8 बजे तक। अन्य स्थान: शुक्रवार 12 दिसंबर, 2014 को प्रातः 8 बजे से सायं 8 बजे तक	नियत चुनाव बूथों पर
6	डाक द्वारा मत देने की अनुमति के लिए आवेदन पत्रों की प्राप्ति [नियम 4(2)(ई) और 28]	सोमवार, 13 अक्टूबर, 2014 को सायं 6 बजे तक	निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय

7	मतदाताओं से डाक द्वारा वापिस मतपत्रों की प्राप्ति [नियम 4 (2)(एफ)]	शुक्रवार, 12 दिसंबर, 2014 को सायं 4 बजे तक	पोस्ट बॉक्स
8	मतगणना का प्रारंभ [नियम 4(2)(जी) और 32]	सोमवार, 22 दिसंबर, 2014 को प्रातः 10 बजे	आईसीएसआई—एनआईआरसी, 4, प्रसाद नगर इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली—110005
9	परिणामों की घोषणा [नियम 4(2)(एच) और 36]	बृहस्पतिवार, 25 दिसंबर, 2014 या मतगणना समाप्त होने के बाद, जो भी स्थिति बाद में हो	भारत का राजपत्र

2. नियमावली के नियम 9 के उप-नियम (1) के अनुसरण में विभिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों से परिषद के लिए चुने जाने वाले व्यक्तियों की संख्या:

क्रम सं.	चुने जाने वाले व्यक्ति	चुने जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
1	अधिनियम की धारा 9(2)(ए) के अन्तर्गत परिषद् के लिए चुने जाने वाले व्यक्ति	15 (पंद्रह)
2	अनुसूची 3 के अन्तर्गत नियम 8 के साथ पठित एवं अनुसूची 1 के अन्तर्गत नियम 3 के साथ पठित परिषद् के लिए चुने जाने वाले व्यक्ति: पूर्वी भारत क्षेत्रीय निर्वाचन-क्षेत्र उत्तरी भारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र दक्षिणी भारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र पश्चिमी भारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र	2 (दो) 5 (पांच) 3 (तीन) 5 (पांच)

3. विनियमावली के विनियम 114 के उप-विनियम (1) के साथ पठित विनियम 115 के उप-विनियम (1) के अनुसरण में विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों के लिए चुने जाने वाले व्यक्तियों की संख्या तथा विभिन्न राज्यों और संघ-शासित क्षेत्रों के लिए आरक्षित सीटें इस प्रकार होंगी:

क्रम सं.	क्षेत्रीय परिषद	चुने जाने वाले व्यक्तियों की सं.	आरक्षण
1	पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद्— जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखण्ड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल राज्य शामिल हैं	6 (छह)	पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों के लिए एक-एक सीट आरक्षित
2	उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद् — जिसमें दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्य तथा संघ-शासित क्षेत्र चंडीगढ़ शामिल हैं	12 (बारह)	दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्यों और संघ-शासित क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए एक-एक सीट आरक्षित
3	दक्षिणी भारत क्षेत्रीय परिषद्— जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य और संघ-शासित क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी तथा लक्षद्वीप शामिल हैं	7 (सात)	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के लिए एक-एक सीट आरक्षित
4	पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद्— जिसमें छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा राज्य तथा संघ-शासित क्षेत्र दादर और नगर हवेली तथा दमन व द्यू शामिल हैं	11 (ग्यारह)	गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों के लिए एक-एक सीट आरक्षित

4. नियमावली के नियम 9, 10 और 11 के अनुसरण में, कोई भी पात्र और इच्छुक सदस्य जो इंस्टीट्यूट की परिषद् अथवा क्षेत्रीय परिषदों के लिए चुनाव में खड़ा होना चाहता है, उसे यथास्थिति अनुलग्नक I या अनुलग्नक II में दिए गए फार्म में अपना नामांकन पत्र (पत्रों) को दाखिल करना होगा, जिसे निर्वाचन अधिकारी, 'आईसीएसआई हाउस', 22, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली—110003 के पास अनुलग्नक III में दिए गए विवरण, तीन पासपोर्ट

आकार वाले फोटोग्राफ एवं फीस और डिपाजिट (जमाराशि) के रूप में इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के नाम तैयार डिमांड ड्राफ्ट के साथ सोमवार, 6 अक्टूबर, 2014 को अधिक से अधिक सायं 6 बजे तक पहुंच जाना चाहिए जिनका विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	फीस/नामांकन पत्र के साथ देय राशि	राशि (₹)	
		परिषद् के लिए	क्षेत्रीय परिषद् के लिए
1	फीस (नियम 10)	25,000 (पच्चीस हजार रुपए केवल)	20,000 (बीस हजार रुपए केवल)
2	सिक्युरिटी डिपाजिट (सुरक्षा जमा) (नियम 11)	20,000 (बीस हजार रुपए केवल)	20,000 (बीस हजार रुपए केवल)

स्पष्टीकरण: कोई भी सदस्य परिषद् के लिए कितने ही नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है, परन्तु जो दस से अधिक नहीं होने चाहिए और चाहे कितने ही नामांकन पत्र(त्रों) को दाखिल किया जाए, परन्तु उसे नामांकन पत्र के साथ 25,000 रुपए की राशि देनी होगी। कोई भी सदस्य क्षेत्रीय परिषद् के लिए कितने ही नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है, परन्तु जो दस से अधिक नहीं होने चाहिए और चाहे कितने ही नामांकन पत्र(त्रों) को दाखिल किया जाए, परन्तु उसे नामांकन पत्र के साथ 20,000 रुपए की राशि देनी होगी।

5. नियमावली की अनुसूची 4 के साथ पठित नियम 9 के उप-नियम (4) के अनुसरण में अनुसूची 4 के पैरा (2) के उप-खंड (ए) के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित अर्हताएं परिषद् द्वारा (क्वालिफिकेशंस) निर्धारित हैं:

i. सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों की प्रदत्त सभी डिग्रियां; इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फिनांस के सर्टिफाइड एसोसिएट; दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया तथा दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सेक्रेटरीज एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, लंदन के सदस्य।

6. नियमावली के नियम 12(1) के अनुसरण में नामांकन पत्रों की जांच के लिए पैनल में निम्नलिखित शामिल होंगे:

क. श्री अर्धेन्दु सेन, परिषद् में सरकार का नामिती,

ख. श्री पी. के. मिश्रा, परिषद् में सरकार का नामिती, महानिदेशक (कॉमर्शियल)-I, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय

ग. सीएस सुतनु सिन्हा, चीफ एक्जीक्यूटिव तथा स्थानापन्न सेक्रेटरी तथा निर्वाचन अधिकारी, दि इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया।

7. नियमावली के नियम 6 के उप-विनियम (3) के अनुसरण में दि इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया की 12वीं परिषद् और चार क्षेत्रीय परिषदों के चुनाव के लिए विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से मत देने के लिए पात्र सदस्यों की सूची (मतदाताओं की सूची) आईसीएसआई हाउस, 22, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी और साथ ही इसे चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई के अपने-अपने क्षेत्रीय कार्यालयों तथा शाखा कार्यालयों से भी 9 सितंबर, 2014 से निम्नलिखित मूल्य देकर प्राप्त किया जा सकता है:

क्रम सं.	निम्नलिखित की मतदाता सूची	मूल्य (₹)
1	पूर्वी क्षेत्र	150
2	उत्तरी क्षेत्र	300
3	दक्षिणी क्षेत्र	200
4	पश्चिमी क्षेत्र	300

8. नियमावली के नियम 41 के उप-नियम (1) और (2) के अनुसरण में नियम 15 के अन्तर्गत जिस किसी भी उम्मीदवार का नाम नामांकन पत्रों की अंतिम सूची में शामिल किया गया है, वह नीचे दी गई राशि से अधिक खर्च नहीं करेगा और नियम 36 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना के पंद्रह दिनों के अंदर निर्धारित फार्मेट (अनुलग्नक IV) में चुनाव के लिए किए गए खर्चों का हिसाब फाइल करेगा:

चुनाव	खर्च की उच्चतम सीमा (₹)
परिषद्	5,00,000
क्षेत्रीय परिषद्	3,00,000

9. नियम 41 के उप-नियम (3) या नियम 42 के उप-नियम (1) के अनुसरण में कोई भी सदस्य अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग IV की मद (2) के अंतर्गत परिषद् को बदनाम करने का भागीदार माना जाएगा, यदि वह नियम 41 के उप-नियम (1) या (2) या नियम 42 के उप-नियम (2), (3) या (4) के प्रावधानों का उल्लंघन करते पाया गया।

10. नियम 42 के उप-नियम (2) और (3) के अनुसरण में उम्मीदवार चुनाव के सम्बंध में निर्धारित ढंग से केवल एक घोषणापत्र या परिपत्र जारी करेगा।
11. विनियमावली के नियम 16 के उप-नियम (2) के अनुसरण में इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर प्रकाशित उम्मीदवारों की चुनाव आचार संहिता इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से लागू हो जाएगी और अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग II की मद (1) के अंतर्गत परिषद् की गाइडलाइन माना जाएगा और प्रत्येक उम्मीदवार और उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को इस चुनाव आचार संहिता का अनुपालन करना होगा।
12. नियमावली के नियम 4(2)(ई) और 4(2)(एफ) के अनुसरण में यदि कोई पात्र और इच्छुक मतदाता डाक द्वारा मतदान करना चाहता है तो उसे 13 अक्टूबर, 2014 तक अनुमति प्राप्त करने के लिए **अनुलग्नक V** में दिए गए फार्म में निर्वाचन अधिकारी को आवेदन भेजना होगा और उसे अपना मतदान पत्र निर्धारित लिफाफे में 12 दिसंबर, 2014 तक निर्वाचन अधिकारी को वापस करना आवश्यक होगा।
13. नियमावली की अनुसूची 2 के साथ पठित नियम 5, 21 और 28 के अनुसरण में पोलिंग बूथों को प्रत्येक मतदाता के लिए नियत कर दिया है। मतदाता नियत पोलिंग बूथ पर अपना मत डाल सकते हैं, यदि किसी सदस्य का नाम किसी पोलिंग बूथ में दिखाया न गया हो तो वह डाक द्वारा अपना मत दे सकता है। पोलिंग बूथों की एक सूची इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है।
14. कम्पनी सेक्रेटरीज अधिनियम, 1980, कम्पनी सेक्रेटरीज (परिषद् के चुनाव) नियमावली, 2006 और कम्पनी सेक्रेटरीज विनियमावली, 1982 तथा अन्य लागू विधियों के सम्बंधित प्रावधान, जिनका उल्लेख यहां नहीं हो पाया है, वे सब के सब इन चुनावों पर लागू होंगे।

इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के आदेशानुसार,

सी. एस. सुतनु सिन्हा, निर्वाचन अधिकारी और चीफ एक्जीक्यूटिव एवं आईसीएसआई के स्थानापन्न सेक्रेटरी

[विज्ञापन III/4/असा./121/14]

अनुलग्नक I

परिषद् के चुनाव के लिए नामांकन फार्म

(देखिए नियम 5, 9, 10 और 11)

नामांकन पत्र

हम, दि इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के अधो-हस्ताक्षरित सदस्य, जिनकी वर्तमान वर्ष के लिए आज की तारीख में अपनी वार्षिक सदस्यता शुल्क (फीस) सम्बंधी कोई बकाया राशि नहीं है और केलेण्डर वर्ष 2014 की अवधि में अधिसूचित इंस्टीट्यूट की परिषद् के सदस्यों के चुनाव में कम्पनी सेक्रेटरीज (परिषद् के चुनाव) नियमावली, 2006 के नियम 5 के अन्तर्गत मत देने का पात्र होने के कारण को मनोनीत करते हैं, जो, भारत क्षेत्रीय निर्वाचन-क्षेत्र से इंस्टीट्यूट का फैलो सदस्य है और वह कम्पनी सेक्रेटरीज (परिषद् के चुनाव) नियमावली, 2006 में निहित प्रावधानों के अनुसार भारत क्षेत्रीय निर्वाचन-क्षेत्र से भरी जाने वाली सीटों में से एक सीट पर चुनाव के लिए उम्मीदवार है।

1. प्रस्तावक के हस्ताक्षर:

नाम:

सदस्यता सं.:

पता:

दिनांक:

2. समर्थक के हस्ताक्षर:

नाम:

सदस्यता सं.:

पता:

दिनांक:

सहमति

मैं इंस्टीट्यूट का फैलो सदस्य, जो भारत क्षेत्रीय निर्वाचन-क्षेत्र से सम्बद्ध रहते हुए, जिसका वर्तमान वर्ष के लिए आज की तारीख में वार्षिक सदस्यता शुल्क (फीस) सम्बंधी कोई बकाया नहीं है, और चुनाव के लिए खड़ा होने का पात्र है, केलेण्डर वर्ष 2014 की अवधि में अधिसूचित उक्त निर्वाचन क्षेत्र से भरी जाने वाली सीटों में से एक सीट के चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने के लिए अपनी सहमति देता हूं।

मैं नामांकन शुल्क (फीस) के रूप में इसके साथ 'दि इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया' के नाम नई दिल्ली में देय: बैंक द्वारा तैयार 25,000 रुपये (पच्चीस हजार रुपये केवल) का डिमांड ड्राफ्ट सं. दिनांक संलग्न कर रहा हूं।

मैं सिक्युरिटी डिपोजिट (सुरक्षा जमा राशि) के रूप में इसके साथ 'दि इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया' के नाम नई दिल्ली में देय बैंक द्वारा तैयार 20,000 रुपए (बीस हजार रुपए केवल) डिमांड ड्राफ्ट सं. दिनांक संलग्न कर रहा हूँ।

मैं कम्पनी सेक्रेटरीज अधिनियम, 1980 और कम्पनी सेक्रेटरीज (परिषद् के चुनाव) नियमावली, 2006 के प्रावधानों का पालन करने के लिए अपनी सहमति देता हूँ और कम्पनी सेक्रेटरीज (परिषद् का चुनाव) नियमावली, 2006 की अनुसूची 4 के अनुसरण में विवरण प्रेषित कर रहा हूँ जो इस नामांकन पत्र का संलग्नक है तथा इसके साथ पासपोर्ट आकार की तीन फोटोग्राफ भी संलग्न हैं।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर:

पूरा नाम:

सदस्यता सं.:

पता:

मोबाईल नं.:

ई-मेल आईडी:

दिनांक..... (दिन)..... (माह) 2014

अनुलग्नक II

..... भारत क्षेत्रीय परिषद के चुनाव के लिए नामांकन फार्म

(देखिए नियम 5, 9, 10 और 11 के साथ पठित विनियम 114 और 115)

नामांकन पत्र

हम, दि इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के अधो-हस्ताक्षरित सदस्य जिनकी वर्तमान वर्ष के लिए आज की तारीख में अपनी वार्षिक सदस्यता शुल्क (फीस) सम्बंधी कोई बकाया राशि नहीं है, और केलेण्डर वर्ष 2014 में होने वाले इंस्टीट्यूट के भारत क्षेत्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव में कम्पनी सेक्रेटरीज विनियामवली, 1982 के विनियम 114 (1) के साथ पठित कम्पनी सेक्रेटरीज (परिषद् के चुनाव) नियमावली, 2006 के नियम 5 के अन्तर्गत मत देने का पात्र होने के कारण..... को मनोनीत करते हैं, जो..... भारत क्षेत्रीय निर्वाचन-क्षेत्र से इंस्टीट्यूट का फैलो सदस्य है और वह कम्पनी सेक्रेटरीज (परिषद् के चुनाव) नियमावली, 2006 और कम्पनी सेक्रेटरीज विनियामवली, 1982 निहित प्रावधानों के अनुसार..... भारत क्षेत्रीय परिषद से भरी जाने वाली सीटों से एक सीट पर चुनाव के लिए उम्मीदवार है।

1. प्रस्तावक के हस्ताक्षर:

नाम:

सदस्यता सं.:

पता:

दिनांक:

2. समर्थक के हस्ताक्षर:

नाम:

सदस्यता सं.:

पता:

दिनांक:

सहमति

मैं..... इंस्टीट्यूट का फैलो सदस्य, जो..... भारत क्षेत्रीय निर्वाचन-क्षेत्र से सम्बद्ध रहते हुए, जिसका वर्तमान वर्ष के लिए आज की तारीख में वार्षिक सदस्यता शुल्क (फीस) सम्बंधी कोई बकाया नहीं है, और चुनाव के लिए खड़ा होने का पात्र है, केलेण्डर वर्ष 2014 की अवधि में अधिसूचित उक्त निर्वाचन क्षेत्र से भरी जाने वाली सीटों में से एक सीट के चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने के लिए अपनी सहमति देता हूँ।

मैं नामांकन शुल्क (फीस) के रूप में इसके साथ 'दि इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया' के नाम नई दिल्ली में देय. बैंक द्वारा तैयार 20,000 रुपए (बीस हजार रुपए केवल) का डिमांड ड्राफ्ट सं..... दिनांक..... संलग्न कर रहा हूँ।

मैं सिक्युरिटी डिपॉजिट (सुरक्षा जमा राशि) के रूप में इसके साथ 'दि इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया' के नाम नई दिल्ली में देय बैंक द्वारा तैयार 20,000 रुपए (बीस हजार रुपए केवल) डिमांड ड्राफ्ट सं. दिनांक संलग्न कर रहा हूँ।

मैं कम्पनी सेक्रेटरीज अधिनियम 1980, कम्पनी सेक्रेटरीज (परिषद् के चुनाव) नियमावली, 2006 और कम्पनी सेक्रेटरीज विनियमावली, 1982 के प्रावधानों का पालन करने के लिए अपनी सहमति देता हूँ और कम्पनी सेक्रेटरीज (परिषद् के चुनाव) नियमावली, 2006 की अनुसूची 4 के अनुसरण में विवरण प्रेषित कर रहा हूँ जो इस नामांकन का संलग्नक है तथा इसके साथ पासपोर्ट आकार की तीन फोटोग्राफ भी संलग्न हैं।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर:

पूरा नाम:

सदस्यता सं.:

पता:

मोबाईल नं.:

ई-मेल आईडी:

दिनांक..... (दिन)..... (माह) 2014

अनुलग्नक III

अनुसूची 4 के साथ पठित नियम 9 के उप-नियम (4) के अनुसरण का विवरण

(दि इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया के परिषद्/क्षेत्रीय परिषद् के चुनाव के लिए नामांकन पत्र के साथ संलग्न करने के लिए)

- | | |
|--|---|
| (क) नाम, सदस्यता सं., प्रोफेशनल पता और मतदाता सूची में प्रकाशित मतदाता की क्रमांक सं. | : |
| (ख) जन्म की तारीख | : |
| (ग) क्या आप फैलो सदस्य हैं और किस तारीख से फैलो बने | : |
| (घ) एसोसिएट सदस्य के रूप में नामांकन की तारीख | : |
| (ङ) क्या भारत के नागरिक हैं | : |
| (च) क्या नामांकन पत्र भरने की तारीख पर आप किसी प्रकार के प्रोफेशनल या अन्य किसी कदाचार के दोषी पाए गए और परिणामतः क्या आपको डांट-फटकारा गया हो या आपका नाम रजिस्टर से हटा दिया गया हो या आप को जुर्माने का दण्ड (penalty of fine) भरना पड़ा हो | : |
| (छ) यदि उपर्युक्त (च) के बारे में आपका उत्तर 'हां' में हो तो कृपया निम्न ब्यौरा दें, जहां कहीं यह लागू होता हो (दोषी पाए जाने पर प्रत्येक कदाचार के लिए अलग-अलग ब्यौरे होने चाहिए) | : |
| (i) वह अपराध जिसमें दोषी पाया गया | : |
| (ii) डांट-फटकार की तारीख | : |
| (iii) उपर्युक्त निरहर्ता (डिस्क्वालीफिकेशन) के कारण रजिस्टर से नाम हटाए जाने की तारीख | : |
| (iv) नाम हटने की कुल अवधि | : |
| (v) किस तारीख को नाम हटने की अवधि समाप्त हुई | : |
| (vi) क्या आपका नाम प्रथम अनुसूची या द्वितीय अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले कदाचार के कारण हटाया गया था | : |
| (vii) किस तारीख को जुर्माने का दण्ड (penalty of fine) मिला था | : |
| (viii) जुर्माने के दण्ड की राशि | : |

- (ix) किस तारीख को जुर्माने के दण्ड का भुगतान किया गया :
- (ज) क्या इंस्टीट्यूट के लेखा-परीक्षक (आडिटर) के रूप में नियुक्ति हुई और यदि हां तो क्या इंस्टीट्यूट के लेखा-परीक्षक न रहने की स्थिति के बाद तीन वर्ष की अवधि अब तक समाप्त हो चुकी है, साथ ही लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्ति और समाप्त-अवधि की तारीखें दें :
- (झ) यदि (ज) के अंतर्गत अवधि समाप्त नहीं हुई है तो यह किस तारीख को समाप्त होगी :
- (ञ) परिषद् की विगत एवं वर्तमान सदस्यता का ब्यौरा, जिसमें इंस्टीट्यूट के प्रेजीडेंट और/या वाइस-प्रेजीडेंट के पद भी शामिल हों :
- (ट) क्या आप कम्पनी सेक्रेटरीज अधिनियम, 1980 की धारा 9(3) के अनुसार केन्द्रीय या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी पद को ग्रहण किए हुए हैं :
- (ठ) उम्मीदवार अपनी इच्छा से निम्नलिखित के बारे में अपने सम्बंध में सूचना दे सकता है:
- (क) शैक्षिक अर्हताएं (डिप्लोमा, जिसमें सरकार/परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त पोस्ट-क्वालिफिकेशन डिप्लोमा(में) और डिग्रियां और परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त प्रोफेशनल डिग्रियां शामिल की जा सकती हैं) :
- (ख) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं और इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मेरिट अवार्ड (पहली तीन पोजीशन तक सीमित) :
- (ग) वृत्ति (आवकूपेशन) के ब्यौरे
- (i) रोजगार (एम्प्लायमेंट) (पद एवं वर्तमान नियोक्ता का नाम)
- (ii) प्रेक्टिस (स्व-स्वामित्व या पार्टनरशिप में, जिसमें फर्म का नाम भी दिया जाए) :
- (iii) अन्य वृत्तियों/नियुक्तियों के ब्यौरे, यदि ये उपर्युक्त (i) और (ii) में शामिल नहीं हैं: :
- (घ) क्षेत्रीय परिषदों की विगत और वर्तमान सदस्यता और क्षेत्रीय परिषदों की शाखाओं की प्रबंध समितियां तथा क्षेत्रीय परिषदों और/या क्षेत्रीय परिषदों की शाखाओं के मामले में चेयरमैन, वाइस-चेयरमैन, सेक्रेटरी और/या कोषाध्यक्ष के पद :

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं..... एफसीएस.....सत्यापित करता हूं कि उपर्युक्त विवरण में दी गई सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा किसी भी प्रासंगिक तथ्य को छुपाया नहीं गया है।
..... दिन..... मास 2014 को सत्यापित।

हस्ताक्षर

अनुलग्नक IV

परिषद्/क्षेत्रीय परिषदों के चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा किए गए खर्चों का फार्मेट

(नियम 36 के अंतर्गत अधिसूचना जारी होने से पंद्रह दिनों के अंदर पेश करना)

निर्वाचन अधिकारी

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया

आईसीएसआई हाउस

22, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड

नई दिल्ली- 110003

प्रिय महोदय,

संदर्भ : परिषद्/क्षेत्रीय परिषदों के चुनाव में खर्चों का हिसाब दाखिल करना

कम्पनी सेक्रेटरीज (परिषद् के चुनाव) नियमावली, 2006 के नियम 41 के प्रावधान के अनुसार, मैं....., परिषद्/क्षेत्रीय परिषदों के चुनाव के लिए एक उम्मीदवार होने के नाते भारत क्षेत्रीय निर्वाचन-क्षेत्र से दिसम्बर, 2014 में आयोजित इंस्टीट्यूट की परिषद्/क्षेत्रीय परिषदों के चुनाव के सम्बंध में किए गए खर्चों का एतद्वारा ब्यौरा दाखिल करता हूँ...

क्रम सं.	खर्च की मद	राशि (₹)
1	स्टेशनरी की कुल लागत जिसमें सर्कुलर/मेनिफैस्टो/विजिटिंग कार्ड्स/पैम्फलेट्स/हैंड आउट/पत्रों के मुद्रण और इसी प्रकार के अन्य खर्चों के लिए खरीदा गया कागज	
2	मुद्रण (प्रिंटिंग) की कुल लागत (उपर्युक्त स्टेशनरी लागत शामिल नहीं है)	
3	प्रयुक्त वाहन की कुल लागत (इसमें वायुयान, ट्रेन, बस और इसी प्रकार की अन्य लागत शामिल नहीं है)	
4	कुल यात्रा लागत	
5	ठहरने, भोजन आदि की कुल लागत	
6	डाक खर्च की कुल लागत	
7	टेलीफोन, मोबाइल, एसएमएस, फैक्स, ई-मेल और इसी प्रकार की अन्य कुल लागत	
8	ऐसी अन्य मदें जो उपर्युक्त में शामिल नहीं की गई, उनकी कुल लागत (कृपया मदों के नाम भी दें)	
9	अन्य खर्च (कृपया निर्दिष्ट करें)	
10	कुल योग (1 से 9 तक)	

मैंने नोट किया है कि कम्पनी सेक्रेटरीज (परिषद् के चुनाव) नियमावली, 2006 के नियम 41 के अन्तर्गत चुनाव खर्चों पर (सभी संभावित शीर्षों पर कुल योग में) उच्चतम सीमा निर्धारित की गई है। इसके अलावा, मैंने उपर्युक्त विवरण में दिए गए ब्यौरे के अतिरिक्त चुनाव के लिए एक उम्मीदवार के रूप में अन्य कोई खर्च नहीं किया है।

मैं घोषणा करता हूँ कि खर्चों का पूर्वोक्त विवरण मेरी पूर्ण जानकारी और विश्वास में सत्य है।

भवदीय,

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

स्थान:

दिनांक:

नाम:.....

सदस्यता सं.:.....

पता:.....

.....

अनुलग्नक V

फार्म एच-1

डाक द्वारा मतदान की अनुमति के लिए आवेदन-पत्र

निर्वाचन अधिकारी

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया

आईसीएसआई हाउस, 22, इंस्टीट्यूशनल एरिया

लोधी रोड

नई दिल्ली 110003

प्रिय महोदय

विषय: आईसीएसआई चुनाव, 2014

मैं, कम्पनी सेक्रेटरीज (परिषद् के चुनाव) नियमावली, 2006 के नियम 28 के अंतर्गत डाक द्वारा मतदान की अनुमति के लिए आवेदन करता हूँ और आवश्यक ब्योरा नीचे प्रस्तुत हैं:

1. पूरा नाम :
2. सदस्यता सं. :
3. मतदान सूची में क्रमांक सं., यदि ज्ञात हो :
4. आबंटित पोलिंग बूथ का पता और क्रमांक सं. :
5. डाक द्वारा मतदान की अनुमति मांगने का कारण :

(क) मतदाता सूची में प्रकाशित मेरा प्रोफेशनल पता* स्थायी रूप से बदल कर अन्य स्थान पर चला गया जो मुझे आबंटित पोलिंग बूथ से 30 किलोमीटर के दायरे से परे है, जोकि नीचे दिया गया है:

(ख) मैं स्थायी रूप से अशक्तता (infirmity) ** से पीड़ित हूँ जिसका विवरण नीचे दिया गया है, जिस कारण से मैं आबंटित पोलिंग बूथ पर चुनाव की तारीख को अपना वोट नहीं दे पाऊंगा।

स्थायी अशक्तता का विवरण

6. वह पता जिस पर मतदाता पत्र भेजा जाए:

दिनांक:

स्थान:

सदस्य के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिया गया विवरण मेरी जानकारी और विश्वास में सही है।

दिनांक:

स्थान:

सदस्य के हस्ताक्षर

* सदस्य जिस स्थान पर काम कर रहा है, उस संगठन के अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किया जाए।

** इस मामले के आवेदन पत्र के साथ मेडिकल प्रेक्विशनर का प्रमाण-पत्र साथ लगाना आवश्यक है जो किसी सरकारी अस्पताल, के सर्जन के रैंक से नीचे का न हो, जो सदस्य की स्थायी अशक्तता की पुष्टि करे।

THE INSTITUTE OF COMPANY SECRETARIES OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2014

Elections to the Council and the Regional Councils, 2014

No. 1 of 2014.—Whereas the duration of the 11th Council and the Regional Councils shall expire on 18th January, 2015, the elections for constitution of a new Council and Regional Councils shall be held as notified hereunder:

1. In pursuance of Section 9(2) (a) of the Company Secretaries Act, 1980 (hereinafter 'the Act') read with Rules 3 and 4 and other applicable Rules of the Company Secretaries (Election to the Council) Rules, 2006 (hereinafter 'the Rules') and the relevant provisions of the Company Secretaries Regulations, 1982 (hereinafter 'the Regulations'), the timelines for various activities for the conduct of elections to the Council and Regional Councils in the year 2014 shall be as under:

Sl. No.	Activity	Time, Day and Date	Place/Venue
1	Issue of notification for purposes of Rule 4 of the Rules.	Tuesday, the 9 th September, 2014	Gazette of India
2	Filing of nominations [Rules 4 (2) (a) and 9]	Not later than 6.00 PM on Monday, the 6 th October, 2014	Office of the Returning Officer
3	Scrutiny of nominations [Rule 4 (2) (b)]	Saturday, the 18 th October, 2014 at 11.00 AM	ICSI House, 22 Institutional Area, Lodi Road, New Delhi-110 003
4	Withdrawal of nominations [Rules 4(2) (c) and 14]	Not later than 6.00 PM on Tuesday, the 28 th October, 2014	Office of the Returning Officer
5	Polling [Rule 4 (2) (d)]	Delhi and Mumbai: Friday and Saturday, the 12 th and 13 th December, 2014 from 8.00 AM to 8.00 PM Other Places: Friday, the 12 th December, 2014 from 8.00 AM to 8.00 PM	Assigned election booths
6	Receipt of applications for permission to vote by post [Rules 4(2) (e) and 28]	Monday, the 13 th October, 2014 upto 6.00 PM	Office of the Returning Officer
7	Receipt by post of ballot papers back from voters [Rule 4 (2) (f)]	Friday, the 12 th December, 2014 upto 4.00 PM	Post Box
8	Commencement of counting of votes [Rules 4(2) (g) and 32]	Monday, the 22 nd December, 2014 at 10.00 AM	ICSI-NIRC, 4, Prasad Nagar Institutional Area, New Delhi-110005
9	Declaration of results [Rules 4(2) (h), 35 and 36]	Thursday, the 25 th December, 2014 or after counting is over, whichever is later.	Gazette of India

2. In pursuance of sub-rule (1) of Rule 9 of the Rules, the number of persons to be elected to the Council from different constituencies shall be as under:

Sl. No.	Persons to be elected	No. of Persons to be elected
1	Persons to be elected to the Council under Section 9(2)(a) of the Act	15 (Fifteen)
2	Persons to be elected to the Council under Schedule 3 read with Rule 8 and Schedule 1 read with Rule 3 from: Eastern India Regional Constituency Northern India Regional Constituency Southern India Regional Constituency Western India Regional Constituency	2 (Two) 5 (Five) 3 (Three) 5 (Five)

3. In pursuance of sub-regulation (1) of regulation 115 read with sub-regulation (1) of regulation 114 of the Regulations, the number of persons to be elected to different Regional Councils and reservation for seats for various States and Union Territories shall be as under:

Sl. No.	Regional Council	No. of Persons to be elected	Reservation
1	Eastern India Regional Council - Comprising the States of Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Jharkhand, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Sikkim, Tripura and West Bengal.	6 (Six)	One seat each reserved for the States of West Bengal and Odisha
2	Northern India Regional Council - Comprising the States of Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and Uttarakhand and the Union Territory of Chandigarh.	12 (Twelve)	One seat each reserved for the States of Delhi, Haryana, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and Union Territory of Chandigarh
3	Southern India Regional Council - Comprising the States of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu and the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands, Puducherry and Lakshadweep.	7 (Seven)	One seat each reserved for the States of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu
4	Western India Regional Council - Comprising the States of Chattisgarh, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra and Goa and the Union Territories of Dadra and Nagar Haveli and Daman & Diu.	11 (Eleven)	One seat each reserved for the States of Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra

4. In pursuance of Rules 9, 10 and 11 of the Rules, a member who is eligible and desirous to stand for election to the Council or a Regional Council of the Institute shall file nomination(s) in the form, as at **Annexure I** or **Annexure II**, as the case may be, so as to reach the Returning Officer, 'ICSI House' 22, Institutional Area, Lodi Road, New Delhi-110 003, not later than 6.00 PM on Monday, the 6th October, 2014 along with the statement in **Annexure III**, three passport size photographs and the demand drafts drawn in favour of the Institute of Company Secretaries of India towards the fees and deposits as under:

Sl. No.	Fees/Deposits payable along with nomination	Amount (₹)	
		For Council	For Regional Council
1	Fees (Rule 10)	25,000 (Twenty Five thousand only)	20,000 (Twenty thousand only)
2	Security Deposit (Rule 11)	20,000 (Twenty thousand only)	20,000 (Twenty thousand only)

Clarification: A member may file any number of nominations not exceeding ten for the Council and irrespective of the number of nomination(s) he has to pay a sum of Rs. 25,000 along with the nomination. A member may file any number of nominations not exceeding ten for the Regional Council and irrespective of the number of nomination(s) he has to pay a sum of Rs. 20,000 along with the nomination.

5. In pursuance of sub-rule (4) of Rule 9 read with Schedule 4 of the Rules, the following qualifications have been recognised by the Council for the purpose of sub-clause (a) of Para (2) of Schedule 4:

All degrees awarded by the universities recognised by Government; Certified Associate of Indian Institute of Banking & Finance; Member of the Institute of Chartered Accountants of India, the Institute of Cost Accountants of India and the Institute of Chartered Secretaries and Administrators, London.

6. In pursuance of Rule 12(1) of the Rules, the Panel for scrutiny of nominations shall comprise as under:

- Mr. Ardhendu Sen, Government Nominee on the Council
- Mr. P. K. Mishra, Government Nominee on the Council & Director General (Commercial)-I, Office of Comptroller and Auditor General of India
- CS Sutanu Sinha, Chief Executive & Officiating Secretary and Returning Officer, The Institute of Company Secretaries of India.

7. In pursuance of sub-rule (3) of Rule 6 of the Rules, the list of members eligible to vote (list of voters) from the various constituencies for elections to the 12th Council and the four Regional Councils of the Institute of Company Secretaries of India shall be available for sale from ICSI House, 22, Institutional Area, Lodi Road, New Delhi 110003 and also from respective Regional offices at Chennai, Delhi, Kolkata and Mumbai and the Chapter offices from 9th September, 2014 on payment of the prices as under:

Sl. No.	List of Voters	Price (₹)
1	Eastern Region	150
2	Northern Region	300
3	Southern Region	200
4	Western Region	300

8. In pursuance of sub-rules (1) and (2) of Rule 41 of the Rules, a candidate, whose name has been included in the final list of nominations under Rule 15, shall not incur an expense in excess of the amount as specified hereunder and shall file an account of expenses incurred for the election in the format (**Annexure IV**) within fifteen days of the notification issued under Rule 36:

Election	Ceiling on Expenditure (₹)
Council	5,00,000
Regional Council	3,00,000

9. In pursuance of sub-rule (3) of Rule 41 or sub-rule (1) of Rule 42 of the Rules, a member shall be deemed to have brought disrepute to the Council under Item (2) of Part IV of the First Schedule of the Act if, in connection with an election to the Council or Regional Council of the Institute, he is found to have contravened the provisions of sub-rules (1) or (2) of Rule 41 or sub-rules (2), (3) or (4) of Rule 42.

10. In pursuance of sub-rules (2) and (3) of Rule 42 of the Rules, a candidate shall issue only one manifesto or circular in relation to the election in the manner specified therein.

11. In pursuance of sub-rule (2) of Rule 16 of the Rules, the Election Code of Conduct for candidates that has been published on the web-site of the Institute, shall come into force from the date of issue of this notification and this Code shall be deemed to be a guideline of the Council under item (1) of Part II of the Second Schedule of the Act and it is obligatory for each candidate and his authorised representative to comply with this Election Code of Conduct.

12. In pursuance of Rule 4(2) (e) and 4(2)(f) of the Rules, a voter eligible and desirous to cast vote by post may send an application to the Returning Officer in form as at **Annexure V** seeking permission to do so by 13th October, 2014 and must return the ballot papers in the specified envelope so as to reach the Returning Officer by 12th December, 2014.

13. In pursuance of Rules 5, 21 and 28 read with Schedule 2 of the Rules, Polling Booths have been assigned to each voter. A voter may cast his vote at the polling booth assigned to him. A member, whose name is not shown under any Polling Booth, shall be permitted to vote by post. A list of Polling Booths has been published on the website of the Institute.

14. The relevant provisions of the Company Secretaries Act, 1980, the Company Secretaries (Election to the Council) Rules, 2006 and the Company Secretaries Regulations, 1982 and other applicable laws, though not specified herein, shall apply to these elections.

By Order of the Council of the Institute of Company Secretaries of India,

C. S. SUTANU SINHA, Returning Officer and Chief Executive & Officiating Secretary of the ICSI

[ADVT III/4/Exty./121/34]

ANNEXURE I**FORM OF NOMINATION FOR ELECTION TO THE COUNCIL**

(See Rules 5, 9, 10 and 11)

NOMINATION

We, the undersigned members of the Institute of Company Secretaries of India, not being in arrears this day in respect of our respective annual membership fee for the current year and being eligible to vote under Rule 5 of the Company Secretaries (Election to the Council) Rules, 2006 in the election of members to the Council of the Institute notified to be held during the calendar year 2014 do hereby nominate, who is a Fellow Member of the Institute belonging to India Regional Constituency, as a candidate for election to one of the seats to be filled up from India Regional Constituency in accordance with the provisions contained in the Company Secretaries (Election to the Council) Rules, 2006.

1. Signature of Proposer :
 Name :
 Membership No. :
 Address :
 Date :
2. Signature of Secunder :
 Name :
 Membership No. :
 Address :
 Date :

CONSENT

I,, being a Fellow Member of the Institute belonging to the India Regional Constituency, not being in arrears this day in respect of my annual membership fee for the current year, and being eligible to stand for election agree to stand as a candidate for election to one of the seats to be filled up from the said constituency in the election notified to be held during the calendar year 2014.

I enclose herewith a demand draft No..... dated for Rs. 25,000 (Rupees Twenty Five Thousand only) drawn onBank in favour of 'The Institute of Company Secretaries of India', payable at New Delhi towards nomination fee.

I enclose herewith a demand draft No..... dated for Rs. 20,000 (Rupees Twenty Thousand only) drawn onBank in favour of 'The Institute of Company Secretaries of India', payable at New Delhi towards security deposit.

I agree to abide by the provisions of the Company Secretaries Act, 1980, and the Company Secretaries (Election to the Council) Rules, 2006, and forward herewith the statement pursuant to schedule 4 of the Company Secretaries (Election to the Council) Rules, 2006 as annexed to this nomination form along with three passport size photographs.

Signature of candidate

Name in full:

Membership No.:

Address

Mobile No.:

E-mail ID:

Dated day of

2014

ANNEXURE II**FORM OF NOMINATION FOR ELECTION TO THE _____ INDIA REGIONAL COUNCIL**

(See Regulations 114 and 115 read with Rules 5, 9, 10 and 11)

NOMINATION

We, the undersigned members of the Institute of Company Secretaries of India, not being in arrears this day in respect of our respective annual membership fee for the current year and being eligible to vote under Rule 5 of the Company Secretaries (Election to the Council) Rules, 2006 read with Regulation 114 (1) of the Company Secretaries Regulations, 1982 in the election of members to the _____ India Regional Council of the Institute to be held during the calendar year 2014 do hereby nominate _____, who is a Fellow Member of the Institute belonging to _____ India Regional Constituency, as a candidate for election to one of the seats to be filled up for _____ India Regional Council in accordance with the provisions contained in the Company Secretaries (Election to the Council) Rules, 2006 and the Company Secretaries Regulations, 1982.

1. Signature of Proposer :

Name :

Membership No. :

Address :

Date :

2. Signature of Seconder :

Name :

Membership No. :

Address :

Date :

CONSENT

I, _____, being a Fellow Member of the Institute belonging to the _____ India Regional Constituency, not being in arrears this day in respect of my annual membership fee for the current year, and being eligible to stand for election agree to stand as a candidate for election to one of the seats to be filled up for the said Regional Council in the election notified to be held during the calendar year 2014.

I enclose herewith a demand draft No. _____ dated _____ for Rs.20,000 (Rupees Twenty Thousand only) drawn on _____ Bank in favour of 'The Institute of Company Secretaries of India', payable at New Delhi towards nomination fee.

I enclose herewith a demand draft No. _____ dated _____ for Rs. 20,000 (Rupees Twenty Thousand only) drawn on _____ Bank in favour of 'The Institute of Company Secretaries of India', payable at New Delhi towards security deposit.

I agree to abide by the provisions of the Company Secretaries Act, 1980, the Company Secretaries (Election to Council) Rules, 2006 and the Company Secretaries Regulations, 1982, and forward herewith the statement pursuant to Schedule 4 of the Company Secretaries (Election to the Council) Rules, 2006 as annexed to this nomination form along with three passport size photographs.

Signature of candidate

Name in full:

Membership No.:

Address:

Mobile No:

E-mail ID:

Dated _____ day of _____ 2014

ANNEXURE III

STATEMENT PURSUANT TO SUB-RULE (4) OF RULE 9 READ WITH SCHEDULE 4

(To be annexed to the Nomination Form for Election to the Council / Regional Council of the Institute of Company Secretaries of India).

- a. Name, Membership No., Professional Address and voter's serial number as published in the List of Voters :
- b. Date of birth :
- c. Whether Fellow and the date on which became Fellow :
- d. Date of Enrolment as an Associate member :
- e. Whether citizen of India :
- f. Whether found guilty of any professional or other misconduct and consequently whether he has been reprimanded or the name has been removed from the Register or has been awarded penalty of fine as on the date of nomination; :
- g. If the answer to (f) above is in affirmative, please provide the following details, wherever applicable (separately for each misconduct for which found guilty): :
- (i) the offence for which found guilty :
- (ii) the date of reprimand :
- (iii) the date from which the name was removed on account of above disqualification from the Register :
- (iv) the total period of removal :
- (v) the date on which the period of removal expires :
- (vi) whether the removal was on account of misconduct falling under the First Schedule or Second Schedule :
- (vii) the date on which the penalty of fine was awarded :
- (viii) amount of penalty of fine :
- (ix) the date on which the payment was made for penalty of fine awarded; :
- h. Whether appointed as the auditor of the Institute and, if so, whether a period of three years had already expired after he has ceased to be the auditor of the Institute, along with dates of appointment and cessation as auditor; :
- i. If the period under (h) has not yet expired, the date on which it shall expire :

- j. Details of past and present membership of the Council including the Office of the President and/or Vice-President of the Institute :
- k. Whether holding a post under the Central or State Government as per Section 9 (3) of the Company Secretaries Act, 1980 :
- l. The candidate may provide at his option the information concerning the candidate in respect of the following: :
- a) Academic qualifications (diplomas including post qualification diploma(s) and degrees recognised by Government/Council and membership of professional bodies recognized by the Council); :
 - b) Merit awards (limited upto first three positions) in the examinations of recognised universities and the examinations conducted by the Institute; :
 - c) Particulars of occupation:-
 - (i) Employment (designation with name of present employer) :
 - (ii) Practice (sole proprietor or in partnership including the name of the firm) :
 - (iii) Particulars of other occupation/engagement, if not covered by (i) and (ii) above; :
 - (d) Past and present membership of Regional Councils and Managing Committees of Chapters of Regional Councils and office of Chairman, Vice-Chairman, Secretary and/or Treasurer in the case of Regional Councils and/or Chapters of Regional Councils. :

Signature

VERIFICATION

I,.....FCS.....
do hereby verify that the information provided in the foregoing statement are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing relevant has been concealed thereof.

Verified on this.....day of2014.

Signature

ANNEXURE IV

Format for providing the expenses incurred by the candidate for election to the Council/Regional Councils

[To be submitted within fifteen days of issue of notification under Rule 36]

The Returning Officer
The Institute of Company Secretaries of India
ICSI House
22, Institutional Area, Lodi Road,
New Delhi - 110 003

Dear Sir,

Re: Filing of account of expenses incurred for election to the Council/Regional Councils.

In accordance with the provisions of Rule 41 of the Company Secretaries (Election to the Council) Rules, 2006, I, _____, a candidate for election to the Council/Regional Council from _____ India Regional Constituency, hereby file an account of expenses incurred by me in connection with the election to the Council/Regional Council of the Institute held in December, 2014.

Sl. No	Item of Expenditure	Amount (Rs.)
1	Total Cost of Stationery including paper purchased for printing circular/manifesto/ Visiting Cards/Pamphlets/ Hand-out/Letters and the like.	
2	Total Printing cost (excluding stationery cost as above).	
3	Total cost of vehicle used (excluding cost of travel by air, train, bus and the like).	
4	Total Travel cost	
5	Total cost of stay, food etc.	
6	Total cost of Postage.	
7	Total cost of Telephone, Mobile, SMS, Fax, E-mail and the like.	
8	Total cost of any other items not covered by the above. (Please specify the names of items also)	
9	Other expenses (Please specify)	
10	Total (1 to 9)	

I have noted that the ceiling fixed by the Council under Rule 41 of the Company Secretaries (Election to the Council) Rules, 2006 on election expenses (in aggregate under all possible heads) _____. Further, I have not incurred any expenditure as a candidate for the election other than those stated in the statement above.

I declare that the aforesaid statement of expenses is true to the best of my knowledge and belief.

Yours faithfully,

(Signature of the Candidate)

Place :

Date :

Name :

Membership No: _____

Address : _____

ANNEXURE V

FORM H-1

FORM OF APPLICATION SEEKING PERMISSION TO VOTE BY POST

Returning Officer

The Institute of Company Secretaries of India

New Delhi 110 003

Dear Sir,

Subject: ICSI Elections 2014

I hereby apply for permission to vote by post under Rule 28 of the Company Secretaries (Election to the Council) Rules, 2006 and give below the necessary particulars:

1. Full name
2. Membership No.
3. Serial No. in the list of voters, if known
4. Serial No. and address of the polling booth allotted
5. Reason for seeking permission to vote by post

(a) there has been a permanent change in my professional address* from the address published in the list of voters to another place beyond a radius of 30 kilometres from the polling booth allotted to me as given below: _____

(b) I am suffering from a permanent infirmity **, particulars of which are given below on account of which I shall not be able to exercise my vote on the date of election at the polling booth allotted to me.

Particulars of permanent infirmity.

6. Address to which the voting papers should be sent:

Date :

Place :

Signature of the Member

VERIFICATION

I declare that the particulars given above are correct to the best of my knowledge and belief.

Date:

Place:

Signature of the Member

*duly certified by an authorized person of the organization where the member is employed.

**The application in this case must be supported by a certificate from a medical practitioner, not below the rank of a surgeon in any Government Hospital, confirming such permanent infirmity.